

**न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज**  
**स्वत्व वाद सं०:-175/2000**

**CIS NO.-390/2019**

अशर्फी राउत.....वादी  
बनाम  
माया देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
16.09.2022	<p>उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की तरफ से दिये गये आवेदन दिनांक 16.12.2021 के आदेश हेतु नियत है।</p> <p align="center"><b><u>आदेश (ORDER)</u></b></p> <p>वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 16.12.2021 में कहा गया है कि वाद वादी की ओर से साक्ष्य हेतु नियत है। वाद में न्यायालय की ओर से विवादित भूमि की स्थानीय जाँच हेतु अधिवक्ता आयुक्त के रूप में देव प्रकाश उपाध्याय अधिवक्ता की नियुक्ति की गयी थी। देव प्रकाश उपाध्याय अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा दिनांक 14.06.2001 को अपना जाँच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया लेकिन अधिवक्ता आयुक्त का जाँच प्रतिवेदन का प्रदर्श नहीं होने के कारण सच्ची प्रति प्राप्त नहीं हो सकी तथा अधिवक्ता आयुक्त देव प्रकाश उपाध्याय वर्तमान में व्यवहार न्यायालय बेतिया में विधि व्यवसाय कर रहे है तथा साक्षी के रूप में अधिवक्ता आयुक्त देव प्रकाश उपाध्याय को न्यायालय में उपस्थिति हेतु समन निर्गत करना वाद के निष्पादन में अति आवश्यक है।</p> <p>प्रतिवादीगण की ओर से वादी के द्वारा उक्त आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 12.08.2022 को दाखिल कर विरोध किया गया तथा आवेदन को कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से आवेदन खारिज योग्य बताया गया। अधिवक्ता आयुक्त देव प्रकाश उपाध्याय द्वारा दिनांक 14.06.2001 को कोई प्रतिवेदन न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया था। अतः वादी का आवेदन पर सुनवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है।</p> <p>उभय पक्षों को सुना गया । अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। दिनांक 02.06.2001 का अधिवक्ता आयुक्त का जाँच प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है। वादी के द्वारा दिनांक 14.06.2001 के अधिवक्ता आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन के बारे में आवेदन दिया गया है। दिनांक 14.06.2001 का कोई जाँच आवेदन अधिवक्ता आयुक्त का अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। परंतु फिर भी न्यायहित में वादी के आवेदन दिनांक 16.12.2021 को स्वीकार कर अधिवक्ता आयुक्त श्री देव प्रकाश उपाध्याय के साक्ष्य हेतु समन निर्गत करने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>आगामी दिनांक 21.10.2022 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत।</p> <p align="center">लेखापित</p> <p align="center">अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज</p>	